निर्णय ब इजलास अन्तर सिह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 31/2021 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र )

1. अर्जुन मीणा पुत्र श्री रामनिवास मीणा निवासी फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री ओम प्रकाश शर्मा सहायक कलक्टर फागी जिला जयपुर
2. शंकर मीणा पुत्र श्री जगदीश मीणा निवासी फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिला प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व न्यायालय सहायक कलक्टर फागी के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 02/2021 व टी आई संख्या 03/2021 ब उनवानी अर्जुन बनाम शंकर व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने बाबत ।

उपस्थितः—

1. श्री हरिनारायण अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री हनुमान सहाय सिहाग अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 16.02.2021

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय सहायक कलक्टर फागी के समक्ष प्रकरण संख्या 02/2021 व टी आई संख्या 03/2021 ब उनवानी अर्जुन बनाम शंकर व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।
2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। सहायक कलक्टर फागी से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से वकील श्री हनुमान सहाय सिहाग ने उपस्थित होकर वकालतनामा व जवाब पेश किया ।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई ।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि उक्त प्रकरण में आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पर बहस होना एवं उसका निस्तारण किया जाना शेष है, परन्तु वर्तमान पीठासीन अधिकारी उक्त प्रकरण में अत्यधिक निजी रूचि ले रहे है तथा बिना विधिक प्रकिया अपनाये ही और बिना बहस सुने ही प्रकरण को खारिज करने पर आमादा है। इस बाबत प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा पीठासीन अधिकारी से अनुरोध भी किया परन्तु पीठासीन अधिकारी, प्रतिवादी शंकर मीणा के अत्यधिक अनुचित प्रभाव में होने से प्रकरण का अन्तिम रूप से निस्तारण अवैद्य तरीके से करने पर आमादा है। विगत पेशी दिनांक 12.01.2021

जिला कलक्टर
जयपुर

को भी प्रार्थी की ओर से उक्त प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही करने का अनुरोध पीठासीन अधिकारी से करने पर पीठासीन अधिकारी नाराज हो गये तथा बिना बहस सुने ही एवं प्रार्थना पत्र लम्बित रहते हुए ही ओपन कोर्ट में कह दिया कि एस डी ओ साहब आपसे नाराज है, मै तो यह दावा खारिज करूंगा। बडी मुश्किल से प्रकरण में आगामी तारीख पेशी 15.01.2021 दी गई। अप्रार्थी संख्या एक का उक्त कथन खुले न्यायालय परिसर में सुन कर प्रार्थी आश्चर्यचकित रह गया कि वर्तमान पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 2 के अत्यधिक अनुचित प्रभाव में है तथा पीठासीन अधिकारी उक्त प्रकरण के निस्तारण हेतु प्रीज्यूडिश है। इस स्थित में प्रार्थी वर्तमान पीठासीन अधिकारी श्री ओम प्रकाश शर्मा से उक्त प्रकरण के निष्पक्ष एवं न्यायपूर्ण निस्तारण की कतई आशा नहीं है, बल्कि प्रार्थी को पूर्ण आशंका है कि अप्रार्थी संख्या एक उक्त प्रकरण में प्रीज्यूडिश होकर पक्षपात पूर्ण तरीके से प्रकरण को खाारिज कर देंगे। इसलिए प्रार्थी को उनसे न्याय की कोई उम्मीद नही है। अतः उक्त प्रकरण को न्यायालय सहायक कलक्टर फागी से किसी भी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने के आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता ने प्रार्थी के आरोपों का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में जिस प्रकार तथ्य लिखे गये है वह गलत है। सही तथ्य यह है कि अप्रार्थी संख्या 2 ने उक्त दावा में दिनांक 21.07.2020 को ही आदेश 7 नियम 11 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया था। जिसकी छायाप्रति वादी के वकील को दिनांक 21.07.2020 को ही दिलवायी गयी थी। उसके बाद में वादी के वकील ने उक्त प्रार्थना पत्र का जबाब प्रस्तुत करने हेतु 7 अवसर लिये जाने के बाद दिनांक 20.08.2020 को उक्त प्रार्थना पत्र का जबाब प्रस्तुत किया तभी से उक्त पत्रावली बहस प्रार्थना पत्र में चल रही है। प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र में बहस नहीं कर दिनांक 08.09.2020 को माननीय न्यायालय के समक्ष मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया जो प्रकरण संख्या 65/2020 ब उनवानी अर्जुन मीणा बनाम एस डी ओ फागी के विरूद्व पेश किया गया था जिसको मान्य न्यांयालय द्वारा दिनांक 14.12.2020 को स्वीकार कर पत्रावली सहायक कलक्टर फागी को अन्तरित करते हुये उभय पक्ष को दिनांक 04.01.2021 को न्यायालय सहायक कलक्टर फागी के समक्ष उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया था। उसके बाद दिनांक 12.01.2021, 15.1.2021 एवं 19.01.2021 बहस हेतु नियत की गई, किन्तु दिनांक 18.1.2021 को प्रार्थी ने सहायक कलक्टर फागी के विरूद्व भी यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश कर दिया। अर्थात पत्रावली सहायक कलक्टर फागी में जाने के बाद 2 पेशी पडी थी और दोनों पेशियों में न्यायिक कार्य स्थगित रहा और कोई सुनवाई नही हुई फिर भी प्रार्थी ने जानबूझ कर अप्रार्थी संख्या 2 को हैरान व परेशान करने के उद्वेश्य से गलत तथ्य अंकित करते हुये यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश कर दिया। प्रार्थी द्वारा पूर्व में जो मुन्तकिल प्रर्थना पत्र पेश किया गया था वह उपखण्ड अधिकारी फागी के विरूद्व प्रस्तुत किया गया था जिसको स्वीकार कर पत्रावली सहायक कलक्टर फागी के न्यायालय में स्थानान्तरित की गई है। जहां पर दिनांक 04.01.2021 को सुनवाई हेतु उपस्थित हुये है और सहायक कलक्टर फागी में भी बहस नहीं करने की नियत से उनके विरूद्व भी स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया । जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी जानबूझ कर उक्त प्रकरण को लम्बित करने के उद्वेश्य से पीठासीन अधिकारी पर झूंठे आरोप लगा कर न्यायिक प्रकिया का दुरूपयोग कर रहा है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

जिला कलक्टर
जयपुर

6. उभयपक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. प्रकरण में उभय पक्ष को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण तथ्यों पर गौर करने से यह पाया गया है कि पूर्व में उक्त प्रकरण उपखण्ड अधिकारी फागी के समक्ष विचाराधीन था। उपखण्ड अधिकारी फागी से न्याय मिलने में शंका जाहिर करने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र 65/2020 ब उनवानी अर्जुन मीणा बनाम एस डी ओ फागी दिनांक 14.12.2020 को स्वीकार कर पत्रावली सहायक कलक्टर फागी को अन्तरित करते हुये उभय पक्ष को दिनांक 04.01.2021 को न्यायालय सहायक कलक्टर फागी के समक्ष उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया था। अब प्रार्थी द्वारा दिनांक 15.02.2021 को सहायक कलक्टर फागी से भी न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उनके विरूद्व भी यह मुन्तकित प्रार्थना पत्र पेश कर दिया। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि प्रार्थी जानबूझ कर उक्त प्रकरण के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब करने की नियत से बार बार पीठासीन अधिकारियों पर झूंठे आरोप लगा कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का आदि है। प्रार्थी न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग कर रहा है जो न्याय के नैसर्गिक सिद्वान्तों के विपरीत है। सहायक कलक्टर फागी के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है, जिससे उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किया जावे। प्रार्थी द्वारा पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरापों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति सहायक कलक्टर फागी को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण का गुणावगुण व मैरिट पर निस्तारण करना सुनिश्चित करे। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 16.02.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

16/2/21

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला कलक्टर
जयपुर